मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31 /12/2019

क्र. एफ 16-19/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. द्वारा लगभग 425.40 करोड़ के पूंजी निवेश से ग्राम-करौंदिया, जिला धार में सीमेंट विनिर्माण परियोजना स्थापना हेतु पूर्व में स्वीकृत सुविधाओं के पुर्नविलोकन संबंधी मांग पर परियोजना को निम्नानुसार सुविधाएं दी जाती हैं:-

(i) **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2019) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत भवन, प्लांट एवं मशीनरी में किये जाने वाले नवीन निवेश पर 40% की समान दर से निम्न शर्तों के अध्याधीन होगी :-

(1) परियोजना अंतर्गत कुल नियोजित रोजगार में से 60 प्रतिशत रोजगार अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय व्यक्तियों को यथासंभव दिया जावे।

(2) परियोजना अंतर्गत सड़क परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनो के उपयोग सुनिश्चित की जावे।

(3) नीति अन्तर्गत प्राप्त सहायता का पुर्ननिवेश प्रदेश में ही नवीन इकाई की स्थापना/इकाई के विस्तार एवं आधुनिकीकरण में किये जाने संबंधी अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) प्रस्तुत करेगी ।

(4) इकाई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त शर्तों के संबंध में स्वप्रमाणित पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) कम्पनी के परियोजना हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने तथा खनिज संबधी अन्य आवेदनों पर प्रचलित नियमों के अंतर्गत शीघ्र कार्यवाही की जावे।

(iii) परियोजना को समीपस्थ थर्मल पॉवर प्लांट से फ्लाई एश के प्रदाय हेतु ऊर्जा विभाग की प्रचलित नीति के अंतर्गत शीघ्र कार्यवाही की जावे।

(iv) परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित सोलर केप्टिव प्लांट से उत्पादित विद्युत पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की प्रचलित "सौर ऊर्जा आधारित परियोजनओं की क्रियान्वयन नीति-2012" के अनुसार विद्युत शुल्क से छूट का लाभ दिया जावे।

(v) कम्पनी के पुर्नविलोकन अभ्यावेदन में शेष अन्य मांगों को अमान्य करते हुए पूर्व में शासनादेश क्रमांक/एफ16-19/2019/ए-ग्यारह दिनांक 14/10/2019 द्वारा स्वीकृत सुविधाएं यथावत प्रदान की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

31/12

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.......

पृ.क्र. एफ 16-19/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि., सी-21 मॉल, 601/1, एरिन हाइटस, पीयू-3, स्कीम न. 54, ए.बी.रोड इन्दौर - 452010।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग